19/6/18

पत्रावली आज न्याय आलय हाजा पेश मण्डरा में पेश हुई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र है कि गांव सरहद मण्डरा के खसरा नं 345 रकबा 20.07 बीघा अप्रार्थी ~~[illegible]~~ संख्या 01 की खातेदारी का तथा खसरा नं 255 रकबा 10 बिस्वा प्रार्थी व अप्रार्थी सं 01 की खातेदारी व कब्जे की खातेदारी का है। खसरा नं 345 रकबा 20.07 बीघा में प्रार्थी का 1/5 हक हिस्सा व अधिकार कायम है। खसरा नं 255 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा में से प्रार्थी गोपालराम व अप्रार्थी सं 01 रामदीन द्वारा 10 बिस्वा भूमि नामे रजिस्ट्री खरीदशुदा होने से उनका खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी की 5 बिस्वा हक अधिकार तथा अपनी हिस्सा अप्रार्थी सं 1 रामदीन से 05 बिस्वा मौके खरीदशुदा है। इस प्रकार 10 बिस्वा प्रार्थी की अकेली की उनका कब्जा की भूमि है।

मजीद आज में प्रार्थी अनुपस्थित/ अप्रार्थी सं 01 रामदीन उपस्थित/ अप्रार्थी रामदीन ने अवगत कराया कि खसरा नं 255 में से खरीदशुदा 10 बिस्वा भूमि में से 05 बिस्वा पर प्रार्थी तथा शेष 05 बिस्वा पर अप्रार्थी रामदीन काबिज है। 05 बिस्वा मौके बेचान अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को कभी नहीं किया है।

मजीद आज में पटवारी की जानकारी भी ली गई रिपोर्ट का अवलोकन किया। खसरा नं 345 रकबा 20.07 बीघा अप्रार्थी सं 01 रामदीन की पैतृक सम्पत्ति है तथा खसरा नं 255 रकबा मे से 10 बिस्वा खरीदशुदा भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी रामदीन की है। मजीद आज में ली गई जानकारी अनुसार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने के कारण दिनांक 6/4/2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को जारी रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner